10 रु. कोर्ट फ़ीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

1

52

न्यायालय माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ...ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /12 पुनरीक्षण

R 1764-पीबीआर/12

1- पूरनलाल सेन तनय तन्साई नाई
निवासी - कररहटी तहसील व जिला पन्ना

2- मुकेश नाई तनय पूरन लाल नाई

3- राजललन नाई तनय पूरनलाल नाई

4- गुन्नू नाई तनय पूरन लाल नाई
निवासीगण - ककरहटी तहसील व जिल
पन्ना ~~ग्वालियर~~ म.प्र. — निगरानीक

19/6/12

बनाम

① श्याम बिहारी खरे तनय [illegible]
निवासी - ककरहटी तहसी
2. शासन म. प्र.
पन्ना म.प्र.
— रेस्पोंडेन्ट

निगरानी आधीन धारा 50, म.प्र भू राजस्व संहिता
विरुद्ध आदेश दिनांक 29.2.12 पारित न्यायालय अनु
अधिकारी पन्ना के प्रकरणक्रमांक 173/बी-121/07
श्याम बिहारी बनाम जगन्नाथ आदि से दुखित होकर

श्रीमानजी,

प्रार्थीगण / निगरानीकर्ता गण की ओरसे ...
प्रकार प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य :-

1.1 यह कि अनावेदक श्याम बिहारी द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला पन्ना

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1764-दो/2012

पूरनलाल विरूद्ध श्याम बिहारी व म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018 21.12.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के प्रकरण क्रमांक 173/बी-121/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 21-02-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 19-06-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

21.12.18
(आर.के. जैन)
सदस्य